



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 08.09.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

एडीएम खीरी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में तहसील गोला में "सम्पूर्ण समाधान दिवस" का किया गया आयोजन; फरियादियों की समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया



आज दिनांक 08.09.2025 को जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर "सम्पूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। एडीएम खीरी महोदय व पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा तहसील गोला पर उपस्थित रहकर "सम्पूर्ण समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर समय से निस्तारण किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल की तहसील मुख्यालय में उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पलिया के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष सम्पूर्णनगर के नेतृत्व में आज दिनांक- 08.09.2025 को थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2025 धारा 2(ख)(ii)/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तों 1. कुलवन्त सिंह उर्फ पिल्ली उर्फ लक्की पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम टीला नं0 4 थाना हजारा पीलीभीत 2. हरपाल सिंह उर्फ सोनी पुत्र गुरदीप सिंह निवासी ग्राम भुर्जिनिया थाना हजारा पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. कुलवन्त सिंह उर्फ पिल्ली उर्फ लक्की पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम टीला नं0 4 थाना हजारा पीलीभीत
2. हरपाल सिंह उर्फ सोनी पुत्र गुरदीप सिंह निवासी ग्राम भुर्जिनिया थाना हजारा पीलीभीत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
2. उ0नि0 अनिल सिंह पकंज थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
3. का0 नरेन्द्र कुमार थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
4. का0 मनीष कुमार थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
5. का0 प्रदीप कुमार थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी

थाना गोला पुलिस द्वारा, चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रियम गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गोला के नेतृत्व में आज दिनांक- 08.09.2025 को थाना गोला पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 461/2025 धारा 305(ए)/317(2)/331(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त प्रियम गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी मोहल्ला कुमाहरन टोला थाना गोला जिला खीरी को चोरी किये गये सामान के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रियम गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी मोहल्ला कुमाहरन टोला थाना गोला जिला खीरी

बरामदगी का विवरण-

एक अदद मिक्सी, एक अदद लैपटाप, एक अदद ब्लोअर, एक फ्रीज, एक अदद पानी की मोटर, जामातलाशी से 1700/- रुपये माल मुकदमाती बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मो0 अनीस थाना गोला जनपद खीरी
2. उ0नि0 राजन कुमार थाना गोला जनपद खीरी
3. का0 अरूण पाल थाना गोला जनपद खीरी
4. का0 भरत कुमार थाना गोला जनपद खीरी

थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त जयसिंह पुत्र छविनाथ को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पसगवाँ के नेतृत्व में आज दिनांक- 08.09.2025 को थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा, एक 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद कर अभियुक्त जयसिंह पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम भानपुर थाना पसगवाँ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना पसगवाँ पर मु0अ0सं0 321/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जयसिंह पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम भानपुर थाना पसगवाँ जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 हरीश कुमार सिंह थाना पसगवाँ जनपद खीरी
- 2.हे0का0 अखिलेश कुमार यादव, थाना पसगवाँ जनपद खीरी
- 3.का0 रोमी कुमार थाना पसगवाँ जनपद खीरी
- 4.का0 अंकित कुमार थाना पसगवाँ जनपद खीरी
- 5.का0 अनुरूद्ध कुमार थाना पसगवाँ जनपद खीरी

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त नरेश पुत्र रमेशुर उर्फ परमेश्वर को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मैगलगंज के नेतृत्व में आज दिनांक- 08.09.2025 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, 01 नफर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त नरेश पुत्र रमेशुर उर्फ परमेश्वर निवासी गुरुदेवखेड़ा थाना मैगलगंज जनपद खीरी को एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मैगलगंज पर मु0अ0सं0 328/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नरेश पुत्र रमेशुर उर्फ परमेश्वर निवासी गुरुदेवखेड़ा थाना मैगलगंज जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नरेश

- 1.मु0अ0सं0 1087/08 धारा 307 भादवि
- 2.मु0अ0सं0 1088/08 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट
- 3.मु0अ0सं0 582/09 धारा 302/307/392/394/411 भादवि
- 4.मु0अ0सं0 583/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 5.मु0अ0सं0 859/09 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट
- 6.मु0अ0सं0 1089/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 7.मु0अ0सं0 328/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 संदीप कुमार यादव थाना मैगलगंज जनपद खीरी
- 2.हे0का0 असलम थाना मैगलगंज जनपद खीरी
- 3.का0 रोहित कुमार थाना मैगलगंज जनपद खीरी

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- 1.थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 608/2025 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त दीपक शर्मा पुत्र प्रताप शर्मा निवासी अमीननगर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।
- 2.थाना मितौली पुलिस द्वारा, मु0सं0 2263/23 धारा 323/504/498 भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट में वारण्टी अभियुक्त नेतराम पुत्र रामपाल निवासी सिमरावां थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 115 लीटर अवैध शराब बरामद कर 07 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **115 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **07 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किये गये।